

प्रायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

ख्या :- 385/2024

कैलाश बनाम कल्याण

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रामरतन शर्मा हाजिर। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 8 की ओर से अधिवक्ता हेमराज प्रजापत हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5, 6, 7, 9 लगायत 11 को सम्यक तामील के उपरान्त भी हाजिर नहीं, अतः अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5, 6, 7, 9 लगायत 11 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।</p> <p>प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी को सुनने के उपरान्त हम पाते है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p>अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(31) उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	